संख्या-549/2026/1608/22-2-2025-17(811)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव ओम उर्फ बमबम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30968/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.07.2025), दिनांक 01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव ओम उर्फ बमबम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, जो लखनौर, थाना-पचदेवरा, जनपद-हरदोई का निवासी है। दिनांक 28-01-1993 को बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर अरविन्द कुमार व शिव कुमार 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-310/2000 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 323/149,201,148 के अन्तर्गत मा० न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-07, हरदोई के आदेश दिनांक 11.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। (2)-एस0टी0नं0-75/1993 भा0द0वि0 की धारा-8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट में मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 खीरी के आदेश दिनांक 16-09-1995 को 10 वर्ष कारावास एवं जुर्माना रू0-1,00,000/- अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सजा यथावत रखी गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30-11-2010 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा को 05 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना रू-25,000/- अर्थदण्ड न जमा करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास, जिसमें बन्दी द्वारा मूल सजा दिनांक 05-05-2011 को पूर्ण कर एवं अर्थदण्ड जमाकर इस वाद में रिहा किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.07.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश सख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधा के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 200 क्रि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.01.1993 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर अरविन्द कुमार व शिव कुमार 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समवपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिव ओम उर्फ बमबम पुत्र रामेश्वर दयाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव ओम उर्फ बमबम (बन्दी संख्या-42263) पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी जनपद-हरदोई की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-549/2026/1608(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-549/2026/1608/22-2-2025-17(811)/2025

दिनांकः 21 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव ओम उर्फ बमबम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, जो लखनौर, थाना-पचदेवरा, जनपद-हरदोई का निवासी है। दिनांक 28-01-1993 को बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर अरविन्द कुमार व शिव कुमार 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-310/2000 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 323/149,201,148 के अन्तर्गत मा० न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-07, हरदोई के आदेश दिनांक 11.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। (2)-एस0टी0नं0-75/1993 भा0द0वि0 की धारा-8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट में मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 खीरी के आदेश दिनांक 16-09-1995 को 10 वर्ष कारावास एवं जुर्माना रू0-1,00,000/- अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सजा यथावत रखी गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30-11-2010 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा को 05 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना रू-25,000/- अर्थदण्ड न जमा करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास, जिसमें बन्दी द्वारा मूल सजा दिनांक 05-05-2011 को पूर्ण कर एवं अर्थदण्ड जमाकर इस वाद में रिहा किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.07.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 01 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश सख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधा के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 200 क्रि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.01.1993 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर अरविन्द कुमार व शिव कुमार 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समवपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है. जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिव ओम उर्फ बमबम पुत्र रामेश्वर दयाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in